भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार

आधार: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

17 जनवरी, 2018

1. यूआईडीएआई के पास मेरा बॉयोमीट्रिक्स, बैंक अकाउंट, पैन आदि सहित पूरा डाटा है। क्या यह मेरे काम को ट्रैक कर सकता है?

· बिल्कुल गलत। यूआईडीएआई के डेटाबेस में केवल न्यूनतम जानकारी होती है जो आप नामांकन या अपडेट के समय देते हैं। इसमें हैं:

- आपका नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि
- दस उंगलियों की छाप, दोनों आंखों की पुतलियों के स्कैन, चेहरे की फोटो
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (यदि आप दें तो)।

· ध्यान रहे, यूआईडीएआई के पास आपके बैंक खातों, शेयर, म्यूचुअल फंड, वित्तीय अथवा संपत्ति के विवरण, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, परिवार, जाति, धर्म, शिक्षा आदि की जानकारी नहीं होती और न यह जानकारी कभी हमारे डेटाबेस में होगी।

· दरअसल, आधार अधिनियम **2016** की धारा **32 (3)** किसी भी सत्यापन जानकारी को नियंत्रित, एकत्रित, अनुरक्षित करने या संजोने से यूआईडीएआई को स्वयं या किसी भी अन्य संस्था को प्रतिबंधित करती है।

आधार एक पहचानक मात्र है, कोई प्रोफाइलिंग उपकरण नहीं।

2. लेकिन जब मैं अपने बैंक खाते, शेयर, म्यूचुअल फंड और अपने मोबाइल फोन को आधार के साथ लिंक करता हूं, तो क्या ये सूचनाएं यूआईडीएआई को प्राप्त नहीं होंगी?

· बिल्कुल नहीं। जब आप अपने बैंकों, म्यूचुअल फंड कंपनियों, मोबाइल फोन कंपनियों को अपना आधार नम्बर देते हैं, तो वे यूआईडीएआई को केवल आपकी पहचान के सत्यापन के लिए आधार संख्या, आपके बॉयोमीट्रिक्स (प्रमाणीकरण के समय दिए गए) और आपका नाम आदि भेजते हैं। वे आपके बैंक खाते का विवरण यूआईडीएआई को नहीं भेजते।

· जहां तक यूआईडीएआई का संबंध है, यह इस तरह के सत्यापन अनुरोधों का जवाब 'हां' या 'नहीं' में देता है।

· कुछ मामलों में, अगर सत्यापन का जवाब 'हां' है, तो यूआईडीएआई के पास उपलब्ध आपके मूल केवाईसी विवरण (नाम, पता, फोटो आदि) सेवा प्रदाता को भेजे जाते हैं।

यूआईडीएआई आपके बैंक, निवेश, बीमा आदि विवरण कभी एकत्र नहीं करता है।

3. अगर किसी को मेरा आधार नंबर पता है तो क्या वे मेरे बैंक खाते को हैक कर सकते हैं?

· बिल्कुल गलत। जिस तरह मात्र आपके एटीएम कार्ड नंबर की जानकारी रखने से, कोई भी एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकाल सकता है, उसी तरह केवल आपके आधार नंबर की जानकारी रखने से, कोई भी न तो आपके बैंक खाते को हैक कर सकता है और न ही पैसे निकाल सकता है।

· यदि आपने बैंक द्वारा दिए गए अपने पिन/ओटीपी को कहीं शेयर नहीं किया है, तो आपका बैंक खाता सुरक्षित है।

· आश्वस्त रहें, आधार के कारण, आज तक, किसी का भी वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है।

बैंकिंग या किसी अन्य सेवा प्राप्त करने के लिए, केवल आधार नंबर पर्याप्त नहीं है।

4. मुझे अपने सभी बैंक खातों को आधार के साथ लिंक करने के लिए क्यों कहा जा रहा है?

· आपकी स्वयं की सुरक्षा के लिए, सभी बैंक खाता धारकों की पहचान सत्यापित करना आवश्यक है और उन्हें आधार के साथ लिंक करना भी आवश्यक है, ताकि उन खातों को खत्म किया जा सके जिन्हें धोखेबाज, धन-शोधक या अपराधी संचालित करते हैं।

· जब सभी बैंक खातों का आधार से सत्यापन किया जाता है और उसे आधार से लिंक कर देते हैं और फिर अगर किसी ने धोखाधड़ी से आपके खाते से पैसा निकाल लिया है, तो उस तरह के खाते वाले जालसाज़ को आसानी से पकड़ा और दंडित किया जा सकता है।

· इसलिए, आपके बैंक खातों को आधार के साथ लिंक करके आपके खाते अधिक सुरक्षित हो जाते हैं।

अधिक सुरक्षित बैंकिंग के लिए अपने बैंक खातों को आधार के साथ सत्यापित करें

5. मुझे अपने मोबाइल नंबर को आधार के साथ सत्यापित करने और लिंक कराने के लिए क्यों कहा जा रहा है?

· आपकी और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सभी मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान आधार के द्वारा सत्यापित की जाए ताकि धोखेबाज़ों, धन-शोधकों, अपराधियों को पकड़ा जा सके।

· यह पाया गया है कि ज्यादातर अपराधी और आतंकवादी फ़र्ज़ी सिम कार्ड लेकर धोखाधड़ी और अपराध करने में उसका इस्तेमाल करते हैं और कई बार तो भोले–भाले लोगों के नाम पर उनकी जानकारी के बिना ही सिम कार्ड हासिल कर लेते हैं।

· जब हर मोबाइल नंबर का आधार से सत्यापन हो जाएगा, तब धोखेबाज़ों, अपराधियों और आतंकवादियों को आसानी से पहचाना, पकड़ा और कानून के अनुसार दंडित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और आपकी अपनी सुरक्षा के लिए अपने मोबाइल सिम को आधार से सत्यापित करें

6. क्या मोबाइल कंपनी सिम सत्यापन के समय ली गई मेरी बायोमीट्रिक्स को स्टोर कर सकती है और बाद में इसका अन्य उपयोग कर सकती है?

· मोबाइल फोन कंपनियों सहित कोई भी आधार सत्यापन के समय ली गई आपकी बायोमीट्रिक्स को स्टोर या इस्तेमाल नहीं कर सकता है।

· जैसे ही आधार-धारक फिंगरप्रिंट संवेदक पर अपनी उंगली लगाता है, उसकी बॉयोमीट्रिक्स को एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है और इस एन्क्रिप्ट डेटा को ही सत्यापन के लिए यूआईडीएआई को भेजा जाता है।

· आधार (प्रमाणीकरण) विनियम **2016** के विनियम **17 (1) (**ए) में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी अनुरोधकर्ता संस्था, जिसमें मोबाइल फोन कंपनियां, बैंक आदि शामिल हैं, किसी भी प्रयोजन के लिए, उंगलियों के निशानों को स्टोर, साझा या प्रकाशित नहीं कर सकती है, और न ही वह ऐसे उंगलियों के निशानों की कोई अनुलिपि (कॉपी) रख सकती है।

· इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन आधार अधिनियम, **2016** के तहत दंडनीय अपराध है।

आपके बायोमीट्रिक्स जैसे ही आप किसी मोबाइल कंपनी या अन्य संस्था को देते हैं, वे तुरंत एन्क्रिप्टहो जाते हैं।

7. क्या एनआरआई को बैंकिंग, मोबाइल, पैन और अन्य सेवाओं के लिए आधार की आवश्यकता है?

· आधार केवल भारत के निवासियों के लिए है। एनआरआई (अनिवासी भारतीय) आधार के पात्र नहीं हैं।

· बैंकों और मोबाइल कंपनियों जैसे संबंधित सेवा प्रदाताओं ने एनआरआई -विशिष्ट छूट निर्धारित की है।

· एनआरआई को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनियों आदि को केवल यह बता देना चाहिए कि एनआरआई होने के कारण उन्हें आधार सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है।

एनआरआई (अनिवासी भारतीयों) को विभिन्न सेवाओं के आधार सत्यापन से छूट प्राप्त है।

8. क्या गरीबों को आधार न दे पाने के कारण पेंशन और राशन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं से वंचित किया जाता है?

· नहीं। आधार कानून की धारा 7 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि जब तक किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी जाती है, उसे आधार न दे पाने के कारण राशन या पेंशन या इस तरह की अन्य पात्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है और संबंधित विभाग को संबंधित अधिसूचना के अनुसार वैकल्पिक पहचान उपायों से उस व्यक्ति की पहचान सत्यापित करनी चाहिए।

· यदि आधार की कमी, या किन्हीं अन्य तकनीकी कारणों से सत्यापन की विफलता के कारण, कोई भी सरकारी विभाग का अधिकारी, किसी व्यक्ति को लाभ या सेवा देने से इनकार करता है, तो उन संबन्धित विभागों के उच्च अधिकारियों के पास इस बारे में शिकायत दर्ज़ करवा सकते हैं।

किसी भी लाभ या सेवा से इनकार के मामले में उच्च अधिकारियों से तुरंत शिकायत करें

9. कुछ एजेंसियां ई-आधार स्वीकार नहीं कर रही हैं और मूल आधार पत्र ही मांगती हैं?

· यूआईडीएआई वेबसाइट से ई-आधार (डाउनलोड किया गया आधार) पूरी तरह वैध है, उतना ही जितना कि मूल आधार पत्र। एजेंसियों को दोनों ही स्वीकार करने चाहिए।

· वास्तव में, डाउनलोड किए गए ई-आधार अथवा एम-आधार ऐप में आधार प्रोफाइल में आधार-धारक का पता अपडेट होता है और इसलिए इन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए।

· यदि कोई व्यक्ति डाउनलोड किए गए ई-आधार को स्वीकार करने से इंकार करता है तो आधार-धारक को उन विभागों/एजेंसियों के उच्च अधिकारियों से शिकायत करनी चाहिए।

सभी एजेंसियों को ई-आधार/एम-आधार स्वीकार करना चाहिए। ये समान रूप से मान्य हैं

10. आधार से आम आदमी को कैसे लाभ मिला है?

· आधार ने आम व्यक्ति को असंख्य तरीकों से लाभान्वित किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक विश्वसनीय पहचान प्रदान करना है।

· आधार ने अब तक 119 करोड़ से अधिक निवासियों को एक सत्यापित पहचान के जरिये सशक्त किया है। आज, वास्तविकता यह है कि आधार भारत में किसी अन्य पहचान दस्तावेज की तुलना में अधिक विश्वसनीय और भरोसेमंद है।

· उदाहरण के लिए, यदि आप नियोक्ता हैं, तो आप अपने कर्मचारियों से पहले कौन से पहचान दस्तावेज़ की मांग करेंगे? या, अपने घरेलू सहायक, ड्राइवर या झोपड़पट्टियों और गांवों में रहने वाले किसी गरीब से पूछें, कि वे नौकरी पाने के लिए, बैंक खाता खोलने, रेल यात्रा इत्यादि के लिए अपनी पहचान साबित करने और बिचौलियों के बिना सीधे अपने बैंक खातों में विभिन्न सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए किस तरह आधार का प्रयोग कर रहे हैं? उनसे पूछिए और वे आपको बताएंगे कि आधार से वह कैसे सशक्त हुए हैं।

आधार एक भरोसेमंद प्रमाणित पहचान के साथ लोगों को सशक्त कर रहा है

11. क्या यह सच है, जैसा कि हम मीडिया में सुनते रहते हैं कि आधार डेटाबेस की सुरक्षा का उल्लंघन हुआ है?

· आधार डेटाबेस के अस्तित्व में आने के बाद से पिछले 7 वर्षों के दौरान कभी भी इसकी सुरक्षा का उल्लंघन नहीं हुआ है। सभी आधार-धारकों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित है।

· आधार डेटा उल्लंघन के बारे में गढ़ी गई कहानियां ज़्यादातर गलत रिपोर्टिंग के मामले हैं।

· यूआईडीएआई अपने डेटाबेस को सुरक्षित और संरक्षित बनाए रखने के लिए उन्नत सुरक्षा तकनीकों का उपयोग करता है और उभरते सुरक्षा खतरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए उनका सतत उन्नयन करता है।

यूआईडीएआई में आधार डेटाबेस पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित है